

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

19 दिसम्बर 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन “गंगा नदी का पुनरुद्धार (नमामि गंगे)” आज संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2017 का 39, गंगा नदी का पुनरुद्धार (नमामि गंगे) आज संसद में प्रस्तुत किया गया है।

गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। हजारों वर्षों से, गंगा नदी ने अपनी सहायक नदियों के साथ गंगा नदी बेसिन में रहने वाले करोड़ों लोगों को भौतिक, अध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक जीवनाधार प्रदान किया है। जनसंख्या दबाव, बढ़ता हुआ तथा अनियोजित नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, कृषि का विस्तार, वनों के विनाश, सिंचाई और उद्योग के लिए पानी की अमूर्तता, जल गुणवत्ता बुनियादी सुविधा में उचित निवेश की कमी तथा शासकीय कठिनाईयों की वजह से नदी खतरे का सामना करती आ रही है।

गंगानदी तथा इसके सहायक नदियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर प्रभाव डालने के लिए भारत सरकार ने मध्य 1980 से कई पहल किये हैं। भारत सरकार ने नमामि गंगे के नाम से एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन को एक अमब्रेला कार्यक्रम के रूप में दक्षता बढ़ाने, सहक्रियाओं को निकालने तथा अधिक व्यापक व बेहतर समन्वित हस्तक्षेप प्रदान करने के द्वारा उन्हें पूरक सहयोग देने के लिए पिछले तथा वर्तमान में चालू पहलों को एकीकृत करने के उद्देश्य से अनुमोदित (मई 2015) किया।

हमने आकलन की पर्याप्तता, धन की उपलब्धता तथा उपयोग, विभिन्न योजनाओं/ परियोजनाओं की योजना तथा कार्यान्वयन, मानव संसाधन की पर्याप्तता तथा निगरानी एवं परिक्षण तंत्र की प्रभावशीलता के आकलन के लिए गंगा नदी का पुनरुद्धार (नमामि गंगे) का निष्पादन लेखापरीक्षा किया।

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 के दौरान संसोधित अनुमान की तुलना में निधि का उपयोग 8 से 63 प्रतिशत तक था। 31 मार्च 2017 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, विभिन्न राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों तथा कार्यपालक एजेंसी/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के पास ₹2,133.76 करोड़, ₹422.13 करोड़ तथा ₹59.28 करोड़ अनुपयोगित पड़े थे।

(पैराग्राफ 2.2.1 & 2.2.5)

₹198.14 करोड़ की समग्र राशि स्वच्छ गंगा निधि में उपलब्ध (31 मार्च 2017 को) थी। हालाँकि, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, स्वच्छ गंगा निधि में से किसी भी राशि का उपयोग नहीं कर सका और कार्य योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण पूरी राशि बैंकों में पड़ी रही।

(पैराग्राफ 2.6.1)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानों के कंसोर्टियम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद साढ़े छह वर्षों से अधिक होने के बाद भी दीर्घकालिक कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दे सका था। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पास राष्ट्रीय गंगा नदी बेसीन प्राधिकरण अधिसूचना के आठ साल से अधिक अवधि के बाद भी नदी घाटी प्रबंधन की योजना नहीं है।

(पैराग्राफ 3.3)

2014-15 से 2016-17 से संबंधित 154 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में से केवल 71 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मंजूर किए गए थे। इन 71 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में से, 70 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को 26 से 1,140 दिन तक के देरी के बाद मंजूरी दी गई थी। शेष 83 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में से 54 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 120 दिनों से लेकर 780 दिनों तक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन स्तर के पास लंबित थीं।

(पैराग्राफ 3.4)

मई 2017 तक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में नदी संरक्षण क्षेत्र की पहचान नहीं की गई थी। उत्तराखंड में पहचान कार्य प्रगति पर था।

(पैराग्राफ 3.8)

2.1 प्रदूषण निवारण और घाट विकास

अध्याय 4

लक्ष्य तिथियों के अनुसार, सभी मलजल उपचार संयंत्रों के लिए कार्य सौंपने का काम सितंबर 2016 तक पूरा करना था। अगस्त 2017 को कुल 1,397 एम.एल.डी. क्षमतावाले परियोजनाओं के विशुद्ध परियोजना प्रतिवेदनों का, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदन बाकी था।

(पैराग्राफ 4.2.1)

₹5,111.36 करोड़ के लागत के 46 मलजल उपचार संयंत्रों, अवरोधन एवं विपथन परियोजनाएं तथा नहर के काम में से ₹2,710.14 करोड़ की लागत वाली 26 परियोजनाओं में परियोजना के कार्यान्वयन में देरी, जमीन की अनुपलब्धता, ठेकेदारों द्वारा धीमा कार्य तथा मलजल उपचार संयंत्रों का अल्प उपयोग के कारण देरी हुई थी। घाटों तथा शवदाहगृह से सम्बंधित परियोजनाओं के कार्य को अपेक्षित मंजूरी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रभावित हुए।

(पैराग्राफ 4.4 & 4.5)

Chapter 3 - ग्रामीण स्वच्छता

अध्याय 5

व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण, सूचना, शिक्षा और संचार तथा ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गए ₹ 951.11 करोड़ के कुल धन के विरुद्ध, पांच राज्यों नामतः बिहार, झारखण्ड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल केवल ₹ 490.15 करोड़ का उपयोग कर सके।

(पैराग्राफ 5.3)

उत्तराखंड के अलावा, अन्य चार राज्य नामतः बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल 31 मार्च 2017 तक, 100 प्रतिशत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके।

(पैराग्राफ 5.4)

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों के चिन्हित जिलों में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को नहीं लिया गया। मार्च 2017 को, उत्तराखण्ड में 132 ग्राम

पंचायतों में से केवल दो में ही ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्य को पूरा किया जा सका तथा 11 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगति पर था।

(पैराग्राफ 5.6)

उत्तर प्रदेश तथा झारखण्ड के नमूना जाँच में लिए गए 12 जिलों में प्रबंधन सूचना प्रणाली में बताये गए डाटा और ग्राम पंचायत द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों में विसंगतियां थीं।

(पैराग्राफ 5.7.2)

वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण और पारिस्थितिक प्रवाह का रखरखाव अध्याय 6

बिहार और झारखंड के चयनित जिलों/ डिविजनों में कृषि और शहरी लैंडस्केप के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं किए गए। बिहार में संरक्षण और समर्थन गतिविधियों को भी नहीं किया गया था। उत्तराखंड में प्राकृतिकपरिदृश्य, कृषि परिदृश्य, शहरी परिदृश्य और संरक्षण के हस्तक्षेप में भी कमी देखी गई।

(पैराग्राफ 6.3.2)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने इंजीनियर मोड़ या भंडारण के कारण जल प्रवाह के अनिर्ंतरता के स्थानों की पहचान नहीं की और अक्टूबर 2016 की अधिसूचना के अनुसार आवश्यक, इसके लिए कोई भी उपचारात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की।

(पैराग्राफ 6.5)

मानव संसाधन प्रबंधन

अध्याय 7

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में 2014-15 से 2016-17 के दौरान, मानव शक्ति की कुल कमी 44 से 65 प्रतिशत थी। एसपीएमजी में कुल कमी 20 से 89 प्रतिशत के बीच थी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों के मानव संसाधन को मजबूत बनाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया।

(पैराग्राफ 7.2)

निगरानी और मूल्यांकन

अध्याय 9

निगरानी निकाय/ समितियां जैसे कि शासी निकाय, उच्च स्तरीय टास्क फ़ोर्स, सशक्त टास्क फ़ोर्स और शासी परिषद् आवश्यक आवृत्ति के अनुसार नहीं मिले।

(पैराग्राफ 9.2)

'गंगा निगरानी केन्द्र' की स्थापना का जनादेश अभी भी जुलाई 2017 तक एनएमसीजी में अवधारणा और योजना चरण में था।

(पैराग्राफ 9.4)

निवेशपरियोजनाओं के नियोजन, निष्पादन और निगरानी को सक्षम करने के साथ-साथजी आई एस मैपिंग के माध्यम से सभी आंकड़ों के केंद्रीय भण्डार के लिए मंच प्रदान करने के लिए भुवन गंगा वेब पोर्टल का क्रियान्वयन धीमा था।

(पैराग्राफ 9.5)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने जनता द्वारा भुवन गंगाएप परसाझा की गई जानकारी पर समुचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था।

(पैराग्राफ 9.6)

मार्च 2017 तक, निगरानी और मूल्यांकन पर तीन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मंजूर ₹ 198.48 करोड़ की राशि के विरुद्ध केवल ₹ 14.77 करोड़ (7.44 प्रतिशत) का खर्च किया गया।

(पैराग्राफ 9.7)

988 अत्यधिकप्रदूषणकारी उद्योगोंके संबंध में आयोजित होने वाले 5,016 अनुपालन सत्यापनों के विरुद्ध में 2011-17 के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केवल 3,163 अनुपालन सत्यापन किए गए थे। पांचआमप्रवाह उपचार संयंत्रों के संबंध में किए जानेवाले अपेक्षित 120 अनिवार्य समुचित मूल्यांकनों के विरुद्ध अगस्त 2017 तक केवल 17 अनिवार्य समुचित मूल्यांकन किए गए थे। 67 मलजल उपचार संयंत्रों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए किए जाने वाले 560 अनिवार्य निरीक्षणों के विरुद्ध अगस्त 2017 तक केवल 177 अनिवार्य निरीक्षण किए गए थे।

(पैराग्राफ 9.7.1)

वास्तविक समय के आधार पर जल गुणवत्ता की निगरानी के निरंतर प्राप्ति के लिए गंगा नदी के किनारे पहचान की गई 113 स्थलों के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केवल 36 स्वचालित गुणवत्ता प्रणालियों की तैनाती कर सका।

(पैराग्राफ 9.7.3)

उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के छह शहरों¹ में 2012-13 के स्तर से घुली हुई ऑक्सीजन में गिरावट आई। उत्तर प्रदेश के तीन शहरों (कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी) में जैव रसायनिक ऑक्सीजन मांग निर्धारित सीमा से अधिक था। 2016-17 के दौरान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के सभी शहरों में कुल कोलिफॉर्म स्तर निर्धारित स्तरों की तुलना में छह² से 334³ गुना तक ज्यादा था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा गंगा नदी की जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए विशिष्ट मानक निर्धारित नहीं किये गए थे।

(पैराग्राफ 9.8)

¹ कानपुर, वाराणसी (डाउनस्ट्रीम), पटना, मुंगेर, गयेसपुर और बज बज

² पटना

³ गयेसपुर

अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा के प्राप्तियों के आधार पर निम्न अनुशंसाएं करते हैं

- i. एन.एम.सी.जी., वार्षिक कार्य योजना तैयार करे, वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सही ढंग से बजट आकलन का लेखा-जोखा तैयार करें तथा बजट आवंटन व वास्तविक व्यय के बीच के अंतरों की नियमित समीक्षा करने के लिए समुचित कदम उठाएं।
- ii. एन.एम.सी.जी. व्यय की नियमित निगरानी हेतु एस.पी.एम.जी. द्वारा यू.सी./समेकित विवरणों की समय पर तैयारी और प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें।
- iii. एन.एम.सी.जी. निर्धारित बारंबारता पर सभी एस.पी.एम.जी. का आंतरिक लेखपरीक्षा कराना सुनिश्चित करें।
- iv. एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. वित्तीय वर्ष के अंत में एन.एम.सी.जी./एस.पी.एम.जी. /ई.ए. इत्यादि के पास उपलब्ध अव्यय शेष राशियों की गणना करने के बाद एन.एम.सी.जी. को आगामी अनुदान जारी करें।
- v. एन.एम.सी.जी. स्वच्छ गंगा निधि के संवर्धन एवं उपयोग हेतु कार्य योजना तैयार करे।
- vi. एन.एम.सी.जी. प्राथमिकता के आधार पर गंगा नदी संरक्षण पर दीर्घकालिक हस्तक्षेप के कार्यान्वयन करने के लिए गंगा नदी घाटी प्रबंधन योजना को अंतिम रूप दे सकता है और समयबद्ध तरीके से इसे लागू कर सकता है।
- vii. एन.एम.सी.जी. डी.पी.आर. का समयबद्ध तरीके से मूल्यांकन सुनिश्चित कर सकता है जैसा कि एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क में परिकल्पना की गई थी।
- viii. एन.एम.सी.जी. प्राथमिकता के आधार पर गंगा नदी को अतिक्रमण और निर्माण गतिविधियों से संरक्षित करने के लिए नदी संरक्षण क्षेत्र की पहचान कर सकता है और घोषित कर सकता है।
- ix. एन.एम.सी.जी. सभी शहरों और गांवों से संबंधित सीवरेज की क्षमता अंतर को संबोधित कर सकता है और तदनुसार सीवेज सिस्टम, एस.टी.पी., अवरोधन और पथांतरण कार्य की समयबद्ध तरीके से योजना बना सकता है।
- x. एन.एम.सी.जी./एस.पी.एम.जी., यह सुनिश्चित करने के लिए कि गंगा नदी में कोई अशोधित सीवेज प्रवाहित न की जाए, सीवेज शोधन संयंत्र की स्थापना और उनके प्रचालन के साथ अवरोधन और पथांतरणपरियोजनाओं को एकीकृत कर सकता है।

- xi. एन.एम.सी.जी., एस.पी.एम.जी. संविदा देने से पहले राज्य सरकार प्राधिकरणों और कार्यपालक एजेंसियों के साथ परामर्श करके भूमि उपलब्ध कराने के लिए त्रिपक्षीय समझौता कर सकते हैं।
- xii. एन.एम.सी.जी., एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के साथ परामर्श करके, राज्य सरकारों के पास उपलब्ध निधि का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।
- xiii. एन.एम.सी.जी., एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के साथ परामर्श करके, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिक वास्तविक योजना, आँकड़ा प्रमाणिकता तथा कड़ाई से निगरानी सुनिश्चित कर सकता है।
- xiv. एन.एम.सी.जी. तथा एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस., सभी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला परियोजनाओं द्वारा प्रस्तुत मासिक भौतिक/वित्तीय रिपोर्ट से क्रॉस-चेकिंग द्वारा एम.आई.एस. के अंतर्गत सूचित आँकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित कर सकता है।
- xv. एन.एम.सी.जी. खतरो की पहचान तथा टिकाऊ और समयबद्ध तरीके से गंगा नदी पारिस्थितिकी को बनाए रखने और वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं को लागू कर सकता है।
- xvi. एन.एम.सी.जी. अभियांत्रिकी विपथन या भंडारण के कारण गंगा जल नदी के प्रवाह की असंतता की पहचान करके "अविरल धारा"के चिंताओं को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दे सकता है ताकि पारिस्थितिक प्रवाह को निर्धारित और बनाए रखा जा सके।
- xvii. एन.एम.सी.जी. रिक्तियों को भरने हेतु एन.एम.सी.जी. तथा एस.पी.एम.जी. दोनों स्तरों पर परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संस्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धिभर्ती नियम तैयार कर सकता है।
- xviii. एन.एम.सी.जी. गंगा संरक्षण कार्यक्रमों की निगरानी के लिए नियमित बैठकों का आयोजन करे, सिफारिशें करें और कार्यवाही करने योग्य बिंदु तैयार करे और सावधानीपूर्वक अनुवर्ती कार्यवाही करें।
- xix. एन.एम.सी.जी. पहले से ही प्रदूषण की निगरानी, प्रदूषण के महत्वपूर्ण मापदंडों की सूचीकरण, गंगा नदी की निगरानी और नियामकों को मजबूत बनाने के लिए सी.पी.सी.बी. को सौंपे गए कार्य में तेजी लाने हेतु सभी प्रयास करें।
- xx. एन.एम.सी.जी. गंगा नदी (पुनरूद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश (2016) में परिकल्पित गंगा निगरानी केंद्रों की स्थापना में तेजी लाए।
- xxi. एन.एम.सी.जी. बेहतर निगरानी के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के भू-स्थानिक डाटा का उपयोग करें।